संख्या-1316/2026/1253/22-2-2026-17(1092)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव पुत्र श्री रामराज यादव (दिनांक 30.04.**2026** तक आयु 51 वर्ष है), ग्राम-बधाई, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी हत्या व ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 17.09.2004 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-24/2005 व 25/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147,148 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (नवसृजित अस्थायी एक्स कैडर) गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2013 द्वारा मृत्यदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुये आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दिनांक 30.04.2026 तक 15 वर्ष, 03 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 08 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 30.04.2026 तक बन्दी की 51 वर्ष की आयु बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बन्दी के ऊपर उक्त वाद के अतिरिक्त अन्य वाद मु0अ0सं0-81/24, धारा-105/109 (2) बी०एन०एस० पंजीकृत होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश यादव (बन्दी संख्या-66/2011) पुत्र श्री रामराज यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1316/2026/1253(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।